प्रेस नोट दिनांक 13.06.2025

थाना चकिया, जनपद चंदौली

▪ **अवैध असलहा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार**

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक, चन्दौली के निर्देशन अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर (IPS) व क्षेत्राधिकारी चकिया नामेन्द्र कुमार रावत के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार की टीम ने दिनांक 13.06.2025 को गरला तिराहे के पास समय 08:35 बजे अभियुक्त संजय उर्फ पप्पू पुत्र रामसूरत चौहान निवासी करमाबाद थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली को एक अदद तमंचा नाजायज 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तारी/बरामदगी की गयी।
गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 101/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 12.06.2025 को जेल चौकाघाट वाराणसी जेल से छूटकर अपने रिश्तेदार शंकर चौहान पुत्र रामसकल निवासी मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली के घर पर गया था वह अभियुक्त का रिश्तेदारी मे साला है। 3-4 बार गोकशी मे जेल जा चुका है। शंकर भी इसी काम को पहले से करता आ रहा था। जेल जाने से पहले उसके घर पर तमंचा रखा था छिपाकर आज उसको वहा से लेकर अपने घर जाने के लिए पैदल ही गरला तिराहा पर आया था और यही से साधन से अपने घर जाने वाला था।

गिरफ्तार अभियुक्त

संजय उर्फ पप्पू पुत्र रामसूरत चौहान निवासी करमाबाद थाना नौगढ़ जनपद चन्दौली.

अपराधिक इतिहास-

1.मु.अ.सं. 86/2023 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली
2.मु.अ.सं. 87/2023 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली
3.मु.अ.सं. 90/23 धारा 3/5ए/5बी/8 गो. नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. व 429 भादवि थाना नौगढ जनपद चन्दौली
4.मु.अ.सं. 100/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गो.नि. अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली
5.मु.अ.सं. 110/22 धारा 3/5ए/8 गो.नि. अधि. व 11 पशुक्रूरता नि. अधि. थाना नौगढ जनपद चन्दौली
6.मु.अ.सं. 131/23 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना नौगढ जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण

एक तमंचा नाजायज 315 बोर
दो जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी टीम का विवरण

थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
हे0का0 संदीप कुमार अत्री थाना चकिया जनपद चन्दौली।
हे0का0 धर्मराज थाना चकिया जनपद चन्दौली।

थाना सैयदराजा, चन्दौली

◈शराब तस्करी की नयी तकनीक विफल, ट्राली में लोहे का सेटरिंग बनाकर, नीचे शराब और उपर ईंट लादकर ट्रैक्टर-ट्राली से अवैध शराब तस्करी का खुलासा, 01 तस्कर गिरफ्तार

◈536 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद (अनुमानित कीमत 03 लाख रूपये)

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा गोतस्करी व गोतस्करी में संलिप्त गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर (आईपीएस) व क्षेत्राधिकारी सदर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 13.06.2025 को उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर सम्राट ढाबा चन्दौली से बिहार जाने वाले मुख्य मार्ग से एक अदद महिन्द्रा टैक्टर-ट्राली जिसमें लोहे का सेटरिंग बनाकर अवैध अंग्रेजी शराब की पेटी पायी गयी तथा ऊपर ईंट लदा हुआ था। सभी पेटी को नीचे उतरवाकर गिना गया तो अलग अलग ब्रान्डो के लगभग 536 लीटर अग्रेजी शराब की बरामदगी हुई तथा एक नफर शा शांतिर तिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 149/25 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. परमहंस राम S/O स्व0 तुलसीराम उम्र 32 वर्ष ग्राम भेलमा पोस्ट औरइया थाना कुदरा जि0 कैमूर भभुआ (बिहार)

गिरफ्तारी व बरादगी का स्थान व समय-

एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम जेठमलपुर सम्राट ढाबा के सामने चन्दौली से बिहार जाने वाले मार्ग पर दिनांक 13.06.2025 को समय करीब 09.20 बजे

बरामदगी का विवरण:-

1. 40 पेटी 8 PM फ्रूटी, टेट्रा पैक प्रत्येक पेटी में 48 पीस कुल 1920 अदद
2. 12 पेटी रायल स्टेज, 375 ML प्रत्येक पेटी में 24 पीस कुल 288 अदद
3. 8 पेटी रायल स्टेज 750 ML प्रत्येक पेटी में 12 पीस कुल 96 अदद
4. 1 पेटी ब्लंडर ब्राइड 750 ML कुल 12 अदद
5. एक अदद महिन्द्र ट्रैक्टर 265 DI
6. 500 रुपया नगदी

कुल शराब 536 लीटर अनुमानित मूल्य तीन लाख रुपया

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली।
3. हे.का. मो. नासिरुद्दीन हुमाऊ थान सैयदराजा चन्दौली
3. आरक्षी मनिराम दूबे थाना सैयदराजा चन्दौली
4. का0 बृजेश चौहान कुमार थाना सैयदराजा चन्दौली
5. का0 राजू सिंह थाना सैयदराजा चन्दौली